मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी/ 3-11/95/3/एक | भोपाल दिनांक 19 जुलाई, 1995

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय .—पदोन्नति हेतु विचार क्षेत्र के लिये आधार वरिष्ठता सूची.

संदर्भ .—इस विभाग का परिपत्र क्र. सी/3-1-/95/3 दिनांक, 2-2-1995

इस विभाग के संदर्भित परिपत्र के अनुसार प्रत्येक वर्ष की एक अप्रैल की स्थिति में वरिष्ठता सूची प्रकाशित करने के निर्देश है. पदोन्नति के लिये विचार क्षेत्र एक जनवरी की स्थिति में तैयार किया जाता है. म. प्र. लोक सेवा आयोग ने अपने पत्र क्र. 290920/417/67/जी. एस./285/93/ जी. एस., दिनांक 13 दिसम्बर, 1994 द्वारा निम्नलिखित निर्णय पारित किया है:—

"विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करते समय यदि अद्यतन वरिष्ठता सूची उपलब्ध नहीं है तो जिस वर्ष में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित हो रही है उससे कम से कम दो वर्ष पूर्व अंतिम वरिष्ठता सूची उपलब्ध होने और एक वर्ष के पूर्व दिनांक तक की अनंतिन वरिष्ठता सूची प्रसारित होने पर ही विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा सकेंगी"

2. अतः सभी विभागों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें.

हस्ता./-
(यू. एस. बिसेन)
अवरसचिव,
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ.क्र. .सी.-6-11/95/3/एक | भोपाल दिनांक 19 जुलाई, 1995

प्रतिलिपि :—

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर.
   सचिव, लोकायुक्त, म. प्र. भोपाल.
   सचिव, लोकसेवा आयोग, म. प्र. इन्दौर.
   सचिव, कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड, म. प्र. भोपाल.
2. राज्यपाल के सचिव, म. प्र. शासन, राजभवन भोपाल.
   सचिव, विधान सभा सचिवलाय, म. प्र. भोपाल.

3. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म. प्र. भोपाल
सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म. प्र. भोपाल.
अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, म. प्र. भोपाल.
5. रजिस्ट्रार, म. प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर/भोपाल/इन्दौर./ग्वालियर.
6. महाधिवक्ता,/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर/
7. प्रमुक सचिव/सचिव/उपसचिव/सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मंत्रालय, भोपाल.
8. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, बल्लभ भवन भोपाल.
9. आयुक्त , जनसंपर्क, म. प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.
10. मुख्यमंत्री जी/उप मुख्यमंत्रीगण/राज्यमंत्री गण के निज सचिव/निज सहायक की और से सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
(यू. एस. बिसेन)
अवर सचिव.
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग.